Crime-1

Form-III
फर्द अहकाम

अज अदालत :–उपखण्ड अधिकारी गढ़ी जिला बाँसवाडा

कोदर पिता वजेंग जाति पाटीदार वगैराह बनाम श्रीमति हन्तोक पत्नि स्व0 श्री कन्हैयालाल नाई वगैराह

निवासी पालोदा निवासी पालोदा

किस्म मुकदमा :– 88, 188, 209 राज0 काश्तकारी अधिनियम एंव 136 भू–राजस्व अधिनियम

प्रकरण संख्याः 69/2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बंर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
19.12.13	पत्रावली बाद जॉच दर्ज रजिस्टर होकर पैश हुई । वादी कोदर पिता वजेंग जाति पाटीदार वगैराह निवासी पालोदा ने अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राज0 काश्तकारी अधिनियम एंव 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रतिवादीगण श्रीमति हन्तोक पत्नि स्व0 श्री कन्हैयालाल नाई वगैराह निवासी पालोदा के विरूद्ध वाद–पत्र प्रस्तुत किया । प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 31.01.14 को पेश हों ।	
31.1.14	पत्रावली पेश हुई। वादी अभिभाषक उपस्थित। प्रतिवादीगण के नाम जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से श्री दुष्यन्त जोशी का वकालातनामा पेश हुआ। शेष प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 2.5.14 को पेश हो।	
2.5.14	पत्रावली पेश हुई। वादी व प्रतिवादी संख्या एक के अभिभाषक उपस्थित। प्रतिवादी संख्या दो व तीन अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या दो व तीन को एक अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते प्रतिवादी संख्या एक का जवाब दिनांक 23.5.14 को पेश हो।	
23.5.14	पत्रावली पेश हुई। वादी अभिभाषक उपस्थित। प्रतिवादी संख्या दो व तीन को तीन–चार बार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी संख्या दो व तीन के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या एक को जवाब हेतु दो–तीन अवसर प्रदान करने के पश्चात भी प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब पेश नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब बन्द किया जाता है।	

4-2-19	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। श्रीमान P.O. साहब अवकाश पर, पत्रावली दिनांक- 21-2-19 को पेश हो।
21.2.19	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान द्वारा न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया गया। पत्रावली वास्ते T.D.R. की रिपोर्ट दिनांक 14.3.19 को पेश हो।
14.3.19	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। श्रीमान P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त। पत्रावली वास्ते T.D.R. की रिपोर्ट दिनांक 13.6.19 को पेश हो।
13.6.19	पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके अभिभाषक को तीन-चार बार आवाज लगवाई गई, कोई उपस्थित नहीं हुआ। पूर्व में ही वादी की साक्ष्य बन्द की जा चुकी है। अतः पत्रावली अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।